कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।

पत्रांक 1257/33–1रोड/दिनांक, हमीरपुर, दिसम्बर 04 ,2019.

सेवा में,

अधिशाषी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड–2
लोक निर्माण विभाग, हमीरपुर।

विषयः–जनपद–हमीरपुर में बिलरायॉ–पनवाड़ी मार्ग (राजमार्ग संख्या–21) के चैनेज कि0मी0 399.600 से 427.00 (चिकासी से राठ) तक 4–लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभावित 49.32 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–1090/11–सी–FP/UP/ROAD /41235/दिनॉक 02.12.2019.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा जो कि वन संरक्षक चित्रकूटधाम वृत्त बॉदा को सम्बोधित है तथा आपको पृष्ठांकित है, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया, परीक्षणोंपरान्त प्रस्ताव में ऑन लाइन व हार्ड कापी में निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का अभाव पाया गया।

1. याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण–पत्र संलग्न नही है।
2. प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है, किन्तु ऑनलाइन भाग–2 के अनुसार व्यासवार व वैज्ञानिक नाम सहित सारांश संलग्न नही किया गया है।
3. प्रभावित संरक्षित वन भूमि के दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न है, किन्तु ऑन लाइन भाग–2 के क्रमांक 13 (ii) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का पूर्ण प्राक्कलन अपलोड नही किया गया है।
4. प्रस्ताव में मार्ग चौड़ीकरण का स्टैंण्डर्ड क्रास सेक्शन (Liner Plan) जिसमें वर्तमान Row तथा प्रस्तावित Row की माप दर्शाया गया हो संलग्न नही है।
5. गजट नोटीफिकेशन की छायाप्रति संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित व चिन्हित नही है।
6. प्रस्ताव में कोई सेन्चुरी/वन्यजीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न है किन्तु प्रमाण–पत्र में 10 कि0मी0 की परिधि में महावीर स्वामी वन्यजीव सेन्चुरी का उल्लेख है, किन्तु यह स्पष्ट नही है कि प्रस्तावित स्थल से सेन्चुरी कितनी दूरी पर है तथा Eco Senctive Zone की परिधि के बाहर है अथवा नही इसका भी स्पष्ट उल्लेख नही है।
7. हार्ड कापी भाग–2 में हरियाली घनत्व ऑन लाइन भाग–2 के अनुसार नही है। अतः संशोधित हार्ड कापी भाग–2 प्रस्ताव में संलग्नकर ऑन लाइन भाग–2 अपलोड करें।
8. प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–01 से 30 पर संलग्न प्रमाण–पत्र पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें। शीघ्र

अतः किसी कार्य दिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा कार्यालय मुख्य वन संरक्षक /नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ से प्रस्ताव की हार्ड कापी की तीनों प्रतियॉ प्राप्तकर बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरने करने के पश्चात पूर्ण संशोधित प्रस्ताव तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(नरेन्द्र सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।